



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या
डी-1/ई-1/2026
दिनांक 18.08.2026

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि: 18.08.2026

ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (SUBMIT) किये जाने की अन्तिम तिथि: 01.09.2026

ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अन्तिम तिथि: 08.09.2026

अभिलेखों सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी जमा किये जाने की अन्तिम तिथि और समय: 15.09.2026 (सायं 05:00 बजे तक)

महत्वपूर्ण

- (1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अर्थात् को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R. Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।
(b) ऐसे अर्थात् जिन्होंने ओटीआर नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ओटीआर नम्बर प्राप्त कर लें।
(c) ओटीआर नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।
(2) अर्थात् को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा—O.T.R., फीस भुगतान, फाइल सबमिशन, अर्हता से सम्बन्धित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ्ट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।
(3) अर्थात् विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों।

- नोट—** (1) अर्थात् ऑन-लाइन आवेदन करने के उपरान्त ऑन-लाइन आवेदन के प्रिन्ट आउट के साथ आवेदित पद के सापेक्ष ऑन-लाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में समस्त शैक्षिक/वैधित्य अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न कर अभिलेखों सहित आवेदन पत्र की हार्ड कापी जमा किये जाने की अन्तिम तिथि के सायं 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अथवा हाथों-हाथ आयोग कार्यालय में जमा करना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(2) आयोग की वेबसाइट पर 'Candidate Dashboard (O.T.R. Based)' पर login कर autofilled पता पर्वों को download कर व उसका प्रिन्टआउट लेकर आवेदन पत्र एवं अभिलेख प्रेषित करने वाले लिफाफे पर उसे चस्पा करते हुए आयोग कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
(3) लिफाफा A-4 साइज का होना चाहिए। एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने की स्थिति में अर्थात् प्रत्येक पद हेतु अलग-अलग लिफाफे में अपने आवेदन-पत्र एवं अभिलेखादि प्रेषित करें, अन्यथा उक्त आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
(4) एक ही प्रकार के पद की स्थिति में एक लिफाफे में अर्थात् एक ही आवेदन पत्र एवं अभिलेखादि प्रेषित करें। एक से अधिक अर्थात् के आवेदन पत्र एवं अभिलेखादि एक ही लिफाफे में प्रेषित करने पर उक्त आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
(5) यदि अर्थात् द्वारा autofilled पता पर्वों (Address Slip) लिफाफे पर चस्पा नहीं की जाती है तो आयोग द्वारा उसका अर्थात् निरस्त किया जा सकता है।

- विशेष सूचना :-** (क) आवेदन 'Submit' करना का सम्पूर्ण दायित्व अर्थात् का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।
(ख) अर्थात् को निर्देशित किया जाता है कि वे अद्यतन सूचनाओं/निर्देशों हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनाएँ/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

1. ऑन-लाइन आवेदन करने वाले अर्थात् के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में O.T.R. BASED APPLICATION system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अर्थात् ऑन-लाइन आवेदन ही करें।

ऑन-लाइन आवेदन करने के साधन में अर्थात् को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें—

आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS" अर्थात् द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं—

- 1- User Instructions
- 2- View Advertisement
- 3- Apply

User Instructions में अर्थात् को ऑन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अर्थात् इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहते हैं, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरा विज्ञापन के साथ ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे।

'ऑन-लाइन आवेदन' करने का कार्य निम्नलिखित चार स्तरों पर किया जायेगा :-

प्रथम स्तर :- 'Apply' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अर्थात् को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अर्थात् यदि :-

- (i) 'Yes' पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् 'Click here to Authenticate' प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके रजिस्टर्ड मोबाइल नं./ई-मेल पर अर्थात् प्राप्त O.T.P. अथवा O.T.R.-पासवर्ड के माध्यम से Authenticate कर सकते हैं। Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अर्थात् की समस्त व्यक्तिगत सूचनाएँ (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी है) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अर्थात् को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।
- (ii) 'No' पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो— a. सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओटीआर वेब पोर्टल (<https://otr.pariksha.nic.in>) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओटीआर नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओटीआर नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अर्थात् को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण :- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अर्थात् को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अर्थात् का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हताओं भी प्रदर्शित होंगी। अर्थात् को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी प्रत्येक अधिमानी अर्हताओं के समुख कालम में Yes या No विकल्प का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण :- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for Fee payment' के समुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे—

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES

उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, जिसका प्रिन्ट-आउट आइकन पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अर्थात् 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate कर Login करने के उपरान्त 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

नोट :- ऑनलाइन शुल्क बैंक में जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अर्थात् द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अर्थात् उसका प्रिन्टआउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

चतुर्थ चरण :- तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर अर्थात् का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अर्थात् प्राप्त कर सकता है। अर्थात् को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित

रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अर्थात् को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अर्थात् का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनपत्रागत अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अर्थात् 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश

- (1) अर्थात् द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डीपिआइल, लिंग, जन्मतिथि, ई.डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन सम्बन्धी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अर्थात् निरस्त माना जायेगा।
- (2) किसी भी स्तर पर परीक्षापत्रागत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अर्थात् द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गयी है, तो उसका अर्थात् निरस्त कर दिया जायेगा तथा आयोग के इस परीक्षा व आगामी समस्त परीक्षाओं/चयनों से उसे डिबार (प्रतिवारित) कर अन्य दण्डात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
- (3) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अर्थात् को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग के प्रश्नगत चयन तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है।
- (4) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (5) जो अर्थात् कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अर्थात्/चयन निरस्त कर दिया जायेगा। अर्थात् के अर्थात्/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
- (6) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अर्थात् निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार/प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (7) आयोग अर्थात् को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पावे जाने पर कि अर्थात् अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अर्थात् निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरांत संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जायेगी।
- (8) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अर्थात्/चयन के सम्बन्ध में सफाई करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अर्थात् निरस्त करने तथा आयोग के प्रश्नगत चयन व आगामी समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।
- (9) (क) अर्थात् के पश्चात् अथवा जब माँग की जाये अर्थात् को अपने ऑन-लाइन आवेदन की हार्ड-कापी के साथ ऑन-लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ एवं विज्ञापन में अपेक्षित और कोई सूचना/अभिलेख आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में प्रेषित करना होगा अन्यथा उनका अर्थात् निरस्त कर दिया जायेगा।
(ख) अभिलेखों के सत्यापन के समय उपस्थित अर्थात् द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में इस हेतु मा0 आयोग के निर्णयानुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उक्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अर्थात् द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा का अर्थात् निरस्त कर दिया जायेगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को यदि अभिलेख सत्यापन हेतु कोई अर्थात् उपस्थित नहीं होता है तो यह मानते हुए कि वह प्रश्नगत पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसका अर्थात् निरस्त कर दिया जायेगा।
- (2) आवेदन शुल्क :- ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-
(i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / - आवेदन शुल्क रु 80/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/-
अन्य पिछड़ा वर्ग - योग = रु 105/-
(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति - आवेदन शुल्क रु 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/-
योग = रु 65/-
(iii) दिव्यांग श्रेणी - आवेदन शुल्क NIL + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/-
योग = रु 25/-
(iv) भूतपूर्व सैनिक - आवेदन शुल्क रु 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/-
योग = रु 65/-
(v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी - अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

1. विकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 (एलोपैथी)

पद का नाम: आचार्य, पदों की संख्या— 44, पद का स्वरूप— सहू 'क' राजपत्रित, वेतनमान— पे—मैट्रिक लेवल—14, आयु सीमा— 35 से 55 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट देय है)।

विशिष्टतावार रिक्तियों की संख्या निम्नवत् है:—

सामान्य चयन

क्र. सं.	आचार्य (प्रोफेसर) (स्पेशियलिटी)	श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या	विभाग संख्या
1	ऑथलमोलॉजी	कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	सेवा—8/1
2	इन्डोक्रिनोलॉजी (ह्यूमन मेटाबोलिज्म)	कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	सेवा—8/2
3	इमरजेन्सी मेडिसिन	कुल—02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—02, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	सेवा—8/3
4	एनाटॉमी	कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	सेवा—8/4
5	एनेस्थीसियोलॉजी	कुल—02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—02, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	सेवा—8/5
6	ओटो—राइनो—लैरिंगोलॉजी (ईओएनटी)	कुल—02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—02, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	सेवा—8/6
7	कम्यूनिटी मेडिसिन	कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	सेवा—8/7
8	कार्डियक एनेस्थीसिया	कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	सेवा—8/8
9	कार्डियोलॉजी	कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	सेवा—8/9
10	जनरल मेडिसिन	कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	सेवा—8/10
11	जनरल सर्जरी	कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य	सेवा—8/11

Page-2

		या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। नोट— कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।	पात्रता योग्यता विनियम, 2025 के विन्दु-7 Determination of equivalent qualification of Diplomate of National Board में निहित निम्नलिखित प्राविधान लागू होगा:— (1) The Diplomate of National Board qualification in broad specialty and super specialty shall be considered equivalent to corresponding broad specialties and super specialties academic qualifications specified in Table A, Table B, Table C, and Table D of the Schedule, When awarded by the national Board of Examinations after training in a medical institution with an attached hospital or in a hospital having a bed strength of 500 or more. (2) For the purposes of equivalence in teaching, persons holding a Diplomate of National Board qualification in broad specialty obtained from medical institutions with a bed strength of less than 500 shall be required to complete an additional one-year senior residency in a recognised medical institution in the relevant specialty. (4) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अधिसूचना दिनांक 30.06.2025 के द्वारा निर्गत चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2025 के विन्दु-18 "समकक्ष विदेशी स्नातकोत्तर योग्यताएं" से आच्छादित अर्हतायें भी समकक्ष मानी जायेंगी :- Any person who has acquired Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery qualification in India and obtained recognised medical qualification (eligible for registration in India) from any of the five English speaking countries such as the United Kingdom, the United States of America, Canada, Australia and New Zealand, shall be eligible for appointment as Assistant Professor or Senior Resident in a medical institution in India in the respective specialty: Provided that any such person having teaching experience of one year and registered in any such country, to practice in that specialty, may be exempted from the requirement of mandatory one year experience of Senior Residency, for eligibility for the post of Assistant Professor: Provided further that in the case of- (a) United Kingdom, such person possesses the Certificate of Completion of Specialist Training or equivalent training with final Fellow of the Royal College of Surgeons or Fellow of the Royal College of Physicians qualification and registered in that country to practice in that specialty, (b) United States of America and Canada, (i) such person possesses Doctor of Medicine degree with Residency Training Certificate in the relevant specialty in the United States of America; and (ii) for super specialties, has completed Residency Training Programme along with accredited Fellowship Programme in the relevant super specialty; (c) Australia and New Zealand, - (i) such person has completed the supervised training programme culminating in the Fellow of the Royal College of Surgeons or Fellow of the Royal College of Physicians of the respective specialty; and (ii) for super specialties, has at least two years of supervised sub specialty Fellowship programme in the respective sub specialty. (5) "Research publication" means only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals indexed in Medline, PubMed Central, Science Citation Index, Citation Index, Expanded Embase, Scopus or Directory of Open Access Journals and other such journals as may be specified by the Commission from time to time; (6) Any faculty having super specialty qualification and serving in a recognised medical institution in a broad specialty department shall be eligible to be a faculty of equivalent cadre of the concerned super specialty department.
26	मेडिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोर्लॉजी	डी०एम० / डी०एन०बी० / डीआरएनबी (गैस्ट्रोइन्ट्रोर्लॉजी) एवं (क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में तीन वर्षों तक संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, और (ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।	पद की संगत सेवा नियमावलिमें ● उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अस्थापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथा संशोधित) 2. चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० (एल०पैथी) पद का नाम: सहायक आचार्य, पदों की संख्या— 1112, पद का स्वरूप— समूह 'क' राजपत्रित, वेतनमान— पे—मैट्रिक्स लेवल—11, आयु सीमा— 26 से 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट देय है।) विशिष्टतावार रिक्तियों की संख्या निम्नवत् है:— सामान्य चयन
27	यूरोलॉजी	एम०सी०एच० / डी०एन०बी० / डीआरएनबी (यूरोलॉजी) एवं (क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में तीन वर्षों तक संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, और (ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।	क्र. सं. सहायक आचार्य (स्पेशियलिटी) श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या विभाग संख्या
28	रेडियो— डायग्नोसिस	एम०डी० / डी०एन०बी० (रेडियोडायग्नोसिस) एवं (क)(i) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में सम्बन्धित विषय में तीन वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या (ii) सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी, जिसके पास सशस्त्र बलों के शिक्षण अस्पताल में प्रासंगिक विशेषज्ञता में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, (ii) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, और (iii) चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, बशर्ते की उनका ब्राड स्पेशियलिटी विषय स्नातक प्रशिक्षण के अन्तर्गत आता हो। नोट— कोई वरिष्ठ परामर्शदाता जिसके पास राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में ब्राड स्पेशियलिटी या सुपर स्पेशियलिटी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो, वह संबंधित विशेषता के किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी चिकित्सा संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में कुल कार्य अनुभव के वर्षों को मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अनुभव माना जायेगा।	1 आर्थोपेडिक्स कुल—39, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—18, अनु० जाति—08, अ०पि०वर्ग—10, ई०डब्ल्यू०एस०—03, क्षैतिज आरक्षण: महिला—07 2. आर्थलमोलॉजी कुल—29, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—16, अनु० जाति—06, अ०पि०वर्ग—5, ई०डब्ल्यू०एस०—02, क्षैतिज आरक्षण: महिला—05 3. आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनोलॉजी कुल—65, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—30, अनु० जाति—13, अनु० जनजाति—01, अ०पि०वर्ग—15, ई०डब्ल्यू०एस०—06, क्षैतिज आरक्षण: डी०एफ०एफ०—01, महिला—13 4. ए०एन०एम०ओ० कम सहायक आचार्य (ऑब्स एण्ड गायनी) कुल—10, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—06, अनु० जाति—01, अ०पि०वर्ग—02, ई०डब्ल्यू०एस०—01, क्षैतिज आरक्षण: महिला—02 5. ए०एन०एम०ओ० कम सहायक आचार्य (ऑब्स एण्ड गायनी) कुल—10, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—05, अनु० जाति—02, अ०पि०वर्ग—02, ई०डब्ल्यू०एस०—01, क्षैतिज आरक्षण: महिला—02 6. एन्डोक्राइन सर्जरी कुल—03, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—03, क्षैतिज आरक्षण: शून्य। 7. एन्डोक्रिनोलॉजी (हृदयम मेटाबोलिज्म) कुल—07, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—05, अनु० जाति—01, अ०पि०वर्ग—01, क्षैतिज आरक्षण: महिला—01 8. इम्यूनो हिमेटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रान्सफ्यूजन (ब्लड बैंक) कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य 9. इमरजेन्सी मेडिसिन कुल—35, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—16, अनु० जाति—07, अ०पि०वर्ग—09, ई०डब्ल्यू०एस०—03, क्षैतिज आरक्षण: महिला—07 10. एनाटॉमी कुल—18, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—13, अनु० जाति—03, अ०पि०वर्ग—01, ई०डब्ल्यू०एस०—01, क्षैतिज आरक्षण: महिला—03 11. एनेस्थीसियोलॉजी कुल—90, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—46, अनु० जाति—14, अनु० जनजाति—01, अ०पि०वर्ग—20, ई०डब्ल्यू०एस०—09, क्षैतिज आरक्षण: डी०एफ०एफ०—01, महिला—18 12. ओटो—राइनो—लैरिंगोलॉजी (ई०एन०टी०) कुल—24, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—13, अनु० जाति—04, अ०पि०वर्ग—05, ई०डब्ल्यू०एस०—02, क्षैतिज आरक्षण: महिला—04 13. कम्प्यूनिटीमेडिसिन कुल—35, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—21, अनु० जाति—06, अ०पि०वर्ग—05, ई०डब्ल्यू०एस०—03, क्षैतिज आरक्षण: महिला—07 14. इपीडेमोलॉजिस्ट कुल—01, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—01, क्षैतिज आरक्षण: शून्य। 15. एम०ओ०एच० कम सहायक आचार्य (आरएच०टी०सी०) कुल—02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित— 02, क्षैतिज आरक्षण: शून्य। 16. एम०ओ०एच० कम सहायक आचार्य (यू०एच०टी०सी०) कुल—02, श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या: लम्बवत् आरक्षण— अनारक्षित—02, क्षैतिज आरक्षण: शून्य।
29	सर्जिकल आंकोलॉजी	एम०सी०एच० / डी०एन०बी० / डीआरएनबी (सर्जिकल आंकोलॉजी) एवं (क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में तीन वर्षों तक संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, और (ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।	
30.	प्लास्टिक एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी / बर्न एण्ड प्लास्टिक सर्जरी	एम०सी०एच० / डी०एन०बी० / डीआरएनबी (प्लास्टिक एण्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी) एवं (क) किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में तीन वर्षों तक संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर, और (ख) (i) एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के बाद कम से कम दो शोध प्रकाशन प्रकाशित किये हों और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए, और (ii) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो।	
नोट:—		(1) दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99 टी०सी० दिनांक 30.07.2021 के द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकन नहीं किया गया है। (2) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की संशोधन अधिसूचना दिनांक 02 जुलाई, 2025 में दी गयी व्यवस्था लागू होगी जो निम्नवत् है:— "In the department of Anatomy, Biochemistry, Microbiology and Pharmacology, non-medical teachers may be appointed to the extent of 30% of the total number of posts in the department, subject to non-availability of medical teachers. 'the above mentioned non-medical teachers and the Statistician in the department of Community Medicine should possess qualification in that particular subject from a recognized University as per requirements in Medical Institutions (Qualification of Faculty) Regulations." (3) *राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अधिसूचना दिनांक 30.06.2025 के द्वारा निर्गत चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक	

[illegible]

Page-7

Page-13

		युनिट संचालित करने वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव । और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए । (2) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो ।		(ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो । या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा । या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो । या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो ।
61.	रेडियो-डायग्नोसिस	एम०डी० / डी०एन०बी०* (रेडियोडायग्नोसिस) एवं (क) डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट-1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों । नोट-2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा । नोट-3 डिमार्श्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा । या (ख) सशस्त्र बलों के वे विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त करने के बाद कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव अथवा दो वर्ष का नैदानिक अनुभव हो । या (ग) कोई गैर शैक्षणिक परामर्शदाता या विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी जिसके पास स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री हो और जो कम से कम 220 बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल में न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव रखता हो, वह संबंधित ब्राड स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर बनने के लिये पात्र होगा, और उसके लिये वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी और नियुक्ति के दो साल के भीतर बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम (बी०सी०बी०आर०) पूरा करना होगा । या (घ) वे डिप्लोमा धारक, जिन्हें 08.06.2017 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो, तथा जो वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव रखता हो । या (ङ) वे डिप्लोमा धारक जो किसी सरकारी चिकित्सा संस्थान के सम्बन्धित विभाग में, या राष्ट्रीय परीक्षा एवं चिकित्सा विज्ञान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान में विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तथा जो छह वर्ष का संचयी अनुभव रखता हो ।	नोट:- (1) दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99 टी०सी० दिनांक 30.07.2021 के द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु दिव्यांगजन हेतु विन्दांकन नहीं किया गया है । (2) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की संशोधन अधिसूचना दिनांक 02 जुलाई, 2025 में दी गयी व्यवस्था लागू होगी जो निम्नवत है:- "In the department of Anatomy, Physiology, Biochemistry, Microbiology and Pharmacology, non-medical teachers may be appointed to the extent of 30% of the total number of posts in the department, subject to non-availability of medical teachers. 'the above mentioned non-medical teachers and the Statistician in the department of Community Medicine should possess qualification in that particular subject from a recognized University as per requirements in Medical Institutions (Qualification of Faculty) Regulations." (3) *राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अधिसूचना दिनांक 30.06.2025 के द्वारा निर्गत चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2025 के बिन्दु-7 Determination of equivalent qualification of Diplomate of National Board में निहित निम्नलिखित प्राविधान लागू होंगे:- (1) The Diplomate of National Board qualification in broad specialty and super specialty shall be considered equivalent to corresponding broad specialties and super specialties academic qualifications specified in Table A, Table B, Table C, and Table D of the Schedule, When awarded by the national Board of Examinations after training in a medical institution with an attached hospital or in a hospital having a bed strength of 500 or more. (2) For the purposes of equivalence in teaching, persons holding a Diplomate of National Board qualification in broad specialty obtained from medical institutions with a bed strength of less than 500 shall be required to complete an additional one-year senior residency in a recognised medical institution in the relevant specialty. (4) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अधिसूचना दिनांक 30.06.2025 के द्वारा निर्गत चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2025 के बिन्दु-18 "समकक्ष विदेशी स्नातकोत्तर योग्यताएँ" से आच्छादित अर्हतायें भी समकक्ष मानी जायेंगी :- Any person who has acquired Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery qualification in India and obtained recognised medical qualification (eligible for registration in India) from any of the five English speaking countries such as the United Kingdom, the United States of America, Canada, Australia and New Zealand, shall be eligible for appointment as Assistant Professor or Senior Resident in a medical institution in India in the respective specialty: Provided that any such person having teaching experience of one year and registered in any such country, to practice in that specialty, may be exempted from the requirement of mandatory one year experience of Senior Residency, for eligibility for the post of Assistant Professor: Provided further that in the case of- (a) United Kingdom, such person possesses the Certificate of Completion of Specialist Training or equivalent training with final Fellow of the Royal College of Surgeons or Fellow of the Royal College of Physicians qualification and registered in that country to practice in that specialty, (b) United States of America and Canada, (i) such person possesses Doctor of Medicine degree with Residency Training Certificate in the relevant specialty in the United States of America; and (ii) for super specialties, has completed Residency Training Programme along with accredited Fellowship Programme in the relevant super specialty; (c) Australia and New Zealand, - (i) such person has completed the supervised training programme culminating in the Fellow of the Royal College of Surgeons or Fellow of the Royal College of Physicians of the respective specialty; and (ii) for super specialties, has at atleast two years of supervised sub specialty Fellowship programme in the respective sub specialty. (5) "Research publication" means only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals indexed in Medline, PubMed Central, Science Citation Index, Citation Index, Expanded Embase, Scopus or Directory of Open Access Journals and other such journals as may be specified by the Commission from time to time; (6) Any faculty having super specialty qualification and serving in a recognised medical institution in a broad specialty department shall be eligible to be a faculty of equivalent cadre of the concerned super specialty department.	
62.	फिजिजिस्ट (रेडियो-डायग्नोसिस)	(क) एम०एस०सी० मेडिकल फिजिक्स या रेडियोलॉजिकल फिजिक्स या एम०एस०सी० फिजिक्स के साथ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स / मेडिकल फिजिक्स में डिप्लोमा, और (ख) मेडिकल फिजिक्स या रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में पी०एच०डी० (ग) मेडिकल फिजिस्ट ग्रेड- II के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम एक वर्ष का अनुभव पी०एच०डी० के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान या ऐसे अस्पताल में होना चाहिए जहाँ डी०एन०बी० (रेडियेशन ऑन्कोलॉजी) पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त हो ।		
63.	रेडियो-थेरेपी	रेडियोथेरेपी में एम०डी० / डी०एन०बी०* एवं डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त / अनुमत चिकित्सा कालेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव		
64.	फिजिजिस्ट (रेडियो-थेरेपी)	(क) एम०एस०सी० मेडिकल फिजिक्स या रेडियोलॉजिकल फिजिक्स या एम०एस०सी० फिजिक्स के साथ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स / मेडिकल फिजिक्स में डिप्लोमा और (ख) मेडिकल फिजिक्स या रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में पी०एच०डी० (ग) मेडिकल फिजिस्ट ग्रेड- II के रूप में कुल चार वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम एक वर्ष का अनुभव पी०एच०डी० के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान या ऐसे अस्पताल में होना चाहिए जहाँ डी०एन०बी० (रेडियेशन ऑन्कोलॉजी) पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त हो ।		
65.	सर्जिकल ऑन्कोलॉजी	एम०सी०एच० / डी०एन०बी०* / डीआरएनबी* (सर्जिकल ऑन्कोलॉजी) एवं आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो ।		
66.	सर्जिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी	(1) एम०सी०एच० / डी०एन०बी०* / डीआरएनबी* (सर्जिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी) अथवा संक्रमण काल के दौरान शैक्षणिक योग्यता एम०एस० / डी०एन०बी०* जनरल सर्जरी तथा (क) किसी चिकित्सा संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें विशेषज्ञता के लिये समर्पित एक विशेष विभाग या युनिट, जिसमें अलग और समर्पित बुनियादी डॉचा और संकाय सदस्य हों, जिन्हें किसी अन्य विभाग या युनिट के हिस्से के समानान्तर रूप से नहीं दिखाया गया है । या (ख) निर्दिष्ट स्पेशियलिटी में समर्पित विभाग या युनिट वाले किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव । या (ग) भारत या विदेश में किसी प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता संस्थान में, जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया हो, निर्दिष्ट स्पेशियलिटी के लिये समर्पित विभाग या युनिट संचालित करने वाले संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव । और (घ) उपरोक्त निर्दिष्ट तीन वर्षों की अवधि के दौरान सम्बन्धित स्पेशियलिटी में कम से कम दो शोध प्रकाशन होने चाहिए और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना चाहिए । (2) आयोग द्वारा नामित किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो ।	पद की संगत सेवा नियमावलीयों ● उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथा संशोधित) नोट:- उपयुक्त समस्त विज्ञापित पदों की रिक्तियों की संख्या परिस्थिति / आवश्यकतानुसार घट / बढ़ सकती है । चयन प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश 1. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु यथेष्ट नहीं है । मात्र अर्हता धारित करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने अथवा चयन के लिये अधिकार नहीं प्रदान करता । साक्षात्कार की सूचना बाद में भेजी जायेगी । 2. कार्मिक अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-151-आयोग/47-का-4-2023/15/19/18, दिनांक 29.10.2025 द्वारा प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (स्कीनिंग परीक्षा) नियमावली-2025' तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त हो गयी है । उक्त नियमावली के संगत प्राविधान निम्नवत् है:- (क) सीधी भर्ती से सम्बन्धित सुसंगत सेवा नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी, आयोग साक्षात्कार के लिये प्रवेश हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए स्कीनिंग परीक्षा आयोजित कर सकता है । (ख) जहाँ स्कीनिंग परीक्षा आयोजित की जानी है वहाँ केवल ऐसे अभ्यर्थी, जो स्कीनिंग परीक्षा में अर्ह हों, आयोग के मानक के अनुसार साक्षात्कार के लिये हकदार होंगे । (ग) अन्तिम योग्यता क्रम स्कीनिंग परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक और साक्षात्कार में 25 प्रतिशत अंक जोड़कर योग्यता अवधारित किया जायेगा ।	
67.	साइकियाट्री	एम०डी० / डी०एन०बी०* (साइकियाट्री) एवं (क) डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में संबंधित विषय में सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष का अनुभव नोट-1 सीनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता से उन सहायक प्रोफेसर को छूट दी जायेगी, जो इन विनियमों के प्रकाशन से तुरन्त पहले सरकारी चिकित्सा संस्थान में में सीधे नियुक्त हुये हों । नोट-2 ट्यूटर जिसके पास स्नातकोत्तर डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के विषय में किसी चिकित्सा संस्थान में प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ, वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा । नोट-3 डिमार्श्ट्रेटर जिसके पास मास्टर ऑफ साइंस और डाक्टर ऑफ फिलास्पी की डिग्री हो द्वारा अपनी विशेषज्ञता के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राप्त अनुभव, सहायक प्रोफेसर के पद के लिये पात्रता के प्रयोजनार्थ वरिष्ठ रेजीडेन्ट के रूप में अपेक्षित अनुभव के समतुल्य माना जायेगा । या		

[illegible]

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary,
or
(ii) is recommended/ after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till

(DD) (MM) (YY)

@ - e.g. Left/right/both arms/legs
- e.g. Single eye
£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-IV

Certificate of Disability

(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No.

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth (DD/MM/YY) _____ age _____ years, male/female _____ Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/ Street _____ Post Office _____ District _____ State _____ , whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of _____ Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diaagno sis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability Speech and Language disability Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which is not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/ likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-
(i) not necessary, or
(ii) is recommended/after.....years..... months, and therefore this certificate shall be valid till....

(DD) (MM) (YY)

@ - e.g. Left/right/both arms/legs
- e.g. Single eye/both eyes
£ - e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शासरीक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, १९९३ (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण—पत्र का प्रश्न।

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती _____ निवासी ग्राम—_____ नगर—_____
जिला—_____ उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शासीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, १९९३ के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित) _____ पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविव्राहित) उपराकिा अधिनिायम, १९९३ (यथासंसोषिति) के प्राविधानों के अनुसार उक्ता श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) _____ के आश्रित हैं ।

स्थान:
दिनांक:

हस्ताक्षर _____
पूरु नाम _____
पदनाम _____
मुहर _____

जिलाधिकारी
(सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण—पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनदेश संख्या–२२ / २१ / १९८३–कार्मिक–२ दिनांक २८ नवम्बर, १९८५

प्रमाण—पत्र के फार्म — १ से ४

फारूप – १

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ठीय एसोसिएशन का नाम _____ राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी _____ आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री _____ निवासी _____ पूरा पता _____ ने दिनांक _____ से दिनांक _____ तक _____ (स्थान का नाम) में आयोजित _____ (क्रीडा / खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया | उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में _____ स्थान प्राप्त किया गया | यह प्रमाण—पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ठीय एसोसिएशन / (यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) _____ में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है |

स्थान _____ हस्ताक्षर _____
दिनांक _____ नाम _____
पद _____
संस्था का नाम _____
मुहर _____

नोट : यह प्रमाण—पत्र नेशनल फेडरेशन / नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यतिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा |

फारूप – २

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम _____ राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी _____ आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री _____ निवासी (पूरा पता) _____ ने दिनांक _____ से दिनांक _____ तक _____ में (क्रीडा / खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) _____ आयोजित राष्ट्रीय _____ में (क्रीडा / खेल— कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया | उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में _____ स्थान प्राप्त किया गया | यह प्रमाण—पत्र _____ (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है |

स्थान _____ हस्ताक्षर _____
दिनांक _____ नाम _____
पद _____
संस्था का नाम _____
मुहर _____

नोट : यह प्रमाण—पत्र प्रदेशीय खेल—कूद संघ के सचिव द्वारा व्यतिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा |

फारूप – ३

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम _____ राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी _____ आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री _____ निवास (पूरा नाम) _____ विश्वविद्यालय की कक्षा _____ के विद्यार्थी ने दिनांक _____ से दिनांक _____ तक _____ (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय _____ (क्रीडा / खेल—कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में _____ विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया | उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में _____ स्थान प्राप्त किया गया | यह प्रमाण—पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा ईंचार्ज खेल कूद _____ विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है |

स्थान _____ हस्ताक्षर _____
दिनांक _____ नाम _____
पद _____
संस्था का नाम _____
मुहर _____

नोट : यह प्रमाण—पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या ईंचार्ज खेल—कूद द्वारा व्यतिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा |

फारूप – ४

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल—कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सन्स / निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश _____ राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी _____ आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री _____ निवासी (पूरा पता) _____ में _____ स्कूल में कक्षा _____ के विद्यार्थी ने दिनांक _____ से दिनांक _____ तक _____ (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गैम्स की _____ (क्रीडा / खेल—कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में _____ स्कूल की ओर से भाग लिया | उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में _____ स्थान प्राप्त किया गया | यह प्रमाण—पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सन्स / शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है |

स्थान _____ हस्ताक्षर _____
दिनांक _____ नाम _____
पद _____
संस्था का नाम _____
मुहर _____

नोट : यह प्रमाण—पत्र निदेशक / या अतिरिक्त / संबुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सन्स / शिक्षा _____ द्वारा व्यतिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा |

क्रमांक:

उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन वियाग
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम

अनुभव प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती जिनकी जन्मतिथि है, के द्वारा नियोजन विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखण्ड जनपद में दिनांक से तक शोधार्थी के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया गया। नोट: यह प्रमाण-पत्र उ०प्र० लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 में प्राविधानित बेटेज व आयु में शिथिलीकरण प्रयोजनार्थ जारी किया गया है। दिनांक : विशेष सचिव, नियोजन विभाग	
सचिव	